EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page no. : 551—555

Dated 25-3-2000

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000

सा.का.नि. 100.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा (4) की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) नियम, 2000 है ।

(2) ये नियम निम्नलिखित के सिवाय बल के सभी सदस्यों को लागू होंगे ;

(i) ऐसे खिलाड़ी, जो विभिन्न शाखाओं की केन्द्रीय टीम के सदस्य हैं;

(ii) सीमांत मुख्यालय और प्रशिक्षण संस्थान के बैंड दल के सदस्य ;

(iii) अश्रु गैस एकक में कार्मिकों की तैनाती के लिए;

(iv) महानिदेशक द्वारा तकनीकी घोषित पद;

(v) अभ्यावेशित अनुचार;

परन्तु यह कि महानिदेशक, ऊपर खंड (i) से (v) तक में उल्लिखित कार्मिकों के स्थानांतरण/पदावधि के विनियमनकारी विभागीय मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से नियम 18 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "ड्यूटी बटलियन" से सक्रिय ड्यूटी पर अभिनियोजित बटालियन अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत तोपखाना रेजीमेंट भी हैं;

(ग) "अति दुर्गम क्षेत्र", "दुर्गम क्षेत्र" और "सामान्य क्षेत्र" से सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "फील्ड सेवा" से "ड्यूटी बटालियन" में की गई सेवा अभिप्रेत है;

(ङ) "मूल बटालियन" से ऐसी बटालियन अभिप्रेत है, जिसे बल का कोई सदस्य, बल में उसकी पहली नियुक्ति पर आबंटित किया जाता है;

(च) "स्टाफ ड्यूटी" से ऐसी ड्यूटी अभिप्रेत है जो फील्ड संस्थान या स्थापन में किसी मुख्यालय में की जाती है;

(छ) "पदावधि" से बल के किसी एकक/संस्थान/स्थापन में सेवा के लिए विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है ;

(ज) "स्थैतिक विरचना" से ऐसी संस्थान/स्थापन/एकक अभिप्रेत है, जो स्थैतिक है और स्थैतिक घोषित किया गया है;

(झ) "कुटुम्ब" से बल के सदस्य के पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे अभिप्रेत हैं;

उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और नियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियमों में है।

3 प्रारंभिक गठन :—

(1) कमांडेंट और उसकी रैंक तक का बल के प्रत्येक सदस्य की बाबत मूल बटालियन वह बटालियन होगी जहां बल का ऐसा सदस्य इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को तैनात रहता है :

परन्तु यह कि कमांडेंट और उसकी रैंक तक बल के ऐसे सदस्य की बाबत मूल बटालियन जो स्थैतिक विरचना में और